लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 52 शनिवार, 6 मई, 1978/16 वैशाख, 1900 (शक)

No. 52 Saturday, May 6, 1978/Vaisakha 16, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377	
(एक) अमरीकी सरकार द्वारा भारत में अमरीकी शांति कोर पुनः स्थापित करने के प्रयासों के बारे में कथित समाचार	(i) Reported news about US Government's effort to re-introduce American peace Corps in India	1—2
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	
(दो) राजस्थान के गंगानगर जिले में गंग नहर के टूट जाने का समाचार	(ii) Reported breach in Gang Canal in Ganganagar district, Rajasthan	2
श्री बेगाराम चौहान	Shri Bega Ram Chauhan	
(तीन) तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक बारात के विरुद्ध हिंसक कार्यों का समाचार	(iii) Reported violent acts by railway employees against a marriage party near Tughlakabad railway station.	
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani.	2
(चार) गांधी हरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल, ब्रह्मपुरी, दिल्ली में कथित घटनाओं के बारे में	(iv) Reported incidents at Gandhi Harijan Higher Secondary School, Brahmpuri, Delhi.	3
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	
(पांच) उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री संजय गांधी की जमानत रद्द किये जाने का समाचार	(v) Reported cancellation of Shri Sanjay Gandhi's bail by Supreme Court.	3
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
(छः) आजमगढ़ उप-चुनावों में हेराफेरी की आशंका का समाचार	(vi) Reported fear of rigging in Azamgar bye-election	3
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति—	Committee on Papers laid on the Table	4

(एक) कार्यवाही-सारांश	(i) Minutes	
(दो) पांचवां प्रतिवेदन	(ii) Fifth Report	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति — छठा प्रतिवेदन	Committee on Absense of Members from the Sittings of the House Sixth Report	4
सभा का कार्य	Business of the House	4—6
पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, 1978–83 के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Draft Five Year Plan 1978-83	6—38
श्री चन्द्र पाल सिंह	Shri Chandra Pal Singh	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	
श्रीमती पार्वती देवी	Shrimati Parvati Devi	
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	
श्री एस० रामास्वामी	Shri S. Ramaswamy	
श्री मिन्थू साहू	Shri Minthoo Sahu	
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	
श्री एम० के० राय	Shri M. K. Roy	
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	Shri Y. P. Shastri	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	
श्री रीतिलाल प्रसाद वर्मा	Shri R. L. P. Verma	
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	
श्री मनोरजंन भक्त	Shri Manorajan Bhakta.	
श्री भानु कुमार शास्त्री	Shri Bhanu Kumar Shastri	
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H. L. Patwary	
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma	
श्री रामदास सिंह	Shri Ramdas Singh	

लोक सभा
LOK SABHA

शनिवार, 6 मई, 1978/16 बैशाख, 1900 (शक)
Saturday, May 6, 1978/Vaisakha 16, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

Shri Yuvraj (Katihar) : Mr. Speaker, I want to draw your attention to a very important issue.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं । आपको नोटिस देना चाहिये ।

[अन्तर्बाधा]*
[*Interruption*]*

अमरीकी सरकार द्वारा भारत में अमरीकी शांति कोर पुनः स्थापित करने के प्रयासों के बारे में कथित समाचार

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : ऐसे समाचार आ रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार पुनः भारत में अमरीकी शान्ति कोर को भेजने के प्रयास कर रही है । दस वर्ष पहले अमरीकी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये स्वयं सेवी गतिविधियों के नाम पर विश्व भर में अमरीकी शान्ति कोर के कार्यकर्त्ताओं का जाल फैलाया था । भारत में शान्ति कोर के हज़ारों स्वयंसेवक भेजे गये परन्तु उनकी गतिविधियों की आलोचना हुई तथा उन पर जासूसी करने का सन्देह किया गया । इसके परिणामस्वरूप सरकार को समूचे करार पर फिर से विचार करना

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
*Not Recorded.

पड़ा तथा इन स्वयंसेवकों को वापस अमरीका भेजने का निर्णय किया गया । देश में इस शान्ति कोर की गतिविधियों के पुनर्रारम्भ का प्रयास देश की सुरक्षा के लिये खतरे की घन्टी है तथा इससे इन तथाकथित स्वयंसेवकों का देश में जासूसी के लिये मार्ग खुल जायेगा । सरकार को इस बारे में सचेत और सावधान रहना चाहिये ।

राजस्थान के गंगानगर जिले में गंग नहर के टूट जाने का समाचार

Shri Bega Ram Chauhan (Ganganagar) : The breach in the Gangnahar near Ganganagar has submerged village Kaliyan resulting in a loss worth Rs. 1.5 crores. A large number of houses and roads have been damaged and thousands of families are in great distress. Government of India should give adequate compensation to the affected people and the relief work should be taken up on war footing.

This breach has occurred after forty years.....

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप लिखकर दे चुके हैं, उसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर सकते ।

Shri Bega Ram Chauhan :*

तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक बारात के विरुद्ध हिंसक कार्यों का समाचार

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं सभा का ध्यान 4 मई, 1978 को बम्बई जाने वाले पंजाब मेल के एक रिजर्व डिब्बे में यात्रा करने वाली बारात पर तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के निकट रेल कर्मचारियों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं । इस घटना में अनेक यात्रियों को गम्भीर चोटें आई । यह अत्यन्त खेदजनक है कि रेलवे कर्मचारियों में गत एक वर्ष में अनुशासन बहुत कम रह गया है । इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं बढ़ी हैं । यात्रियों में जान और माल की असुरक्षा की भावना व्याप्त है । क्या रेलवे कर्मचारी किसी रिजर्व डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं ? क्या कण्डक्टर का यह काम नहीं था कि वह उन्हें रिजर्व डिब्बे में से निकाल बाहर करता ? माननीय मंत्री जी को रेलवे में अनुशासन लाना चाहिये अन्यथा समूचा रेल प्रशासन बदनाम हो जायेगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है । रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं । उन्हें इस बारे में वक्तव्य देकर अच्छी लोकतन्त्रीय परम्परा स्थापित करनी चाहिए ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

गांधी हरिजन हायर सैकेन्डरी स्कूल, ब्रह्मपुरी, दिल्ली में कथित घटनाओं के बारे में

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : कल शाम गांधी हरिजन हायर सैकेण्डरी स्कूल, ब्रह्मपुरी, दिल्ली पर सार्वजनिक प्रदर्शन की घटना और पुलिस के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अनेक लोगों को गम्भीर चोटें आईं और काफी सम्पत्ति की हानि हुई । यह स्कूल गरीब लोगों की एक बस्ती में स्थित है और इसमें अधिकांशतः उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं । प्रबन्धक स्कूल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं । हाल ही में उन्होंने सरकारी सहायता लेनी बन्द कर दी । वे इसे एक पब्लिक स्कूल के रूप में विद्यार्थियों से फीस लेकर चलाना चाहते हैं । गरीब छात्र इतनी अधिक फीस नहीं दे सकते हैं । लगभग 3,600 छात्रों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा तथा 80 अध्यापकों की नौकरी भी समाप्त हो जायेगी। प्रबन्धकों के इस कदम की प्रतिक्रिया और विरोध होना स्वाभाविक ही है । छात्रों और अभिभावकों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पत्थर आदि बरसाकर पुलिस को हस्तक्षेप करने का बहाना बनाया गया । पुलिस ने अत्यन्त कठोरता से कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोग गम्भीर रूप से घायल हुए और सम्पत्ति की काफी हानि हुई । सम्बन्धित मंत्री महोदय को समूची स्थिति पर वक्तव्य देना चाहिये ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री संजय गांधी की जमानत रद्द किये जाने का समाचार

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्री संजय गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय केवल जमानत रद्द करना ही नहीं है । देश के उच्चतम न्यायाधिकरण ने उन्हें गवाहों और गवाहियों को तोड़ने तथा कानूनी प्रक्रिया को उलटने की कोशिश करने का दोषी ठहराया है । अतः न्यायालय ने उन्हें एक महीने के लिये न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है । यह सुनिश्चित करने में कि अपराधियों को दण्ड मिले, न्यायलय ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है । अब सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि श्री संजय गांधी कानूनी प्रक्रिया उलटने के अपने प्रयास जेल से ही जारी न रख पाये । उन्हें जेल से भी गवाहों को तोड़ने की चेष्टा करने से रोका जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि जेल अधिकारियों पर निगरानी रखी जायेगी कि वे कानूनों का ठीक-ठीक पालन करते हैं ।

आजमगढ़ उप-चुनाव में हेंराफेरी की आंशका का समाचार

श्री वसंत साठे (अकोला) : ऐसी रिपोर्टें हैं कि आज़मगढ़ उप-चुनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र नहीं होंगे क्योंकि मतदान पेटियां और मतपत्र दूरस्थ क्षेत्रों में बहुत पहले पहुंच चुके हैं और चुनाव में गड़बड़ी किये जाने की आशंका है । स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये सरकार को सावधानी बरतनी चाहिये और इसके लिये विशेष प्रबन्ध करने चाहियें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

कार्यवाही सारांश

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति की 6 अक्तूबर, 8 नवम्बर और 29 दिसम्बर, 1977 तथा 28 मार्च, 20 अप्रैल और 4 मई, 1978 को हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

पांचवां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

छटा प्रतिवेदन

श्री नटवरलाल बी० परमार : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of State in the Ministry of Labour and Department of Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : Sir, with your permission I may inform the House that the following Government Business will be taken up in the House during the week beginning on 8th May, 1978 :

(1) Consideration of any item of Govt. business not concluded today.

(2) Consideration and passing of following bills :—

(a) The Customs, Central Excise and Salt and Central Excise Board (Amendment) Bill, 1977 (consideration and passing).

(b) The Khadi and Village Industries (Amendment) Bill, 1978 (consideration and passing).

(c) The Passport (Amendment) Bill, 1978 (consideration and passing).

(d) The Tobacco Board (Amendment) Bill, 1978 (consideration and passing).

(e) The Air (Prevention and Control of Pollution) Bill, 1978 (consideration and passing).

(f) Insolvency Laws (Amendment) Bill, 1978, as passed by Rajya Sabha (consideration and passing).

(g) The Eyes (Authority for use for Therapeutic Purposes) Bill, 1978 (consideration and passing).

(h) The Ear Drums and Ear Bones (Authority fcr use fcr Thera peutic Purposes) Bill, 1978 (consideration and passing).

(3) Discussion on the Report of the working Group on Autonomy for Akashvani and Doordarshan consequent upon the motion to be moved by the Minister of Information and Broadcasting on Thursday, the 11th May, 1978.

श्री ए० के० राय (धनबाद) क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक व्यापक विधेयक इस सत्र में लाया जायेगा या नहीं क्योंकि हमें बार-बार बताया जाता रहा है कि यह विधेयक शीघ्र ही रखा जायेगा ?

श्री सौगत राय (बैरकपुर) अभी पश्चिमी बंगाल विधान सभा में सरकार द्वारा कार्य-सूची पर मत-विभाजन हुआ । विधेयक लाने के बारे में सरकार को अपना वचन निभाना चाहिये अन्यथा हमें भी यहां पर ऐसा करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) मैं केवल दो या तीन बातें कहना चाहता हूं । मैंने और इस सभा ने यह मांग की है कि सरकार का इसी सत्र में शाह आयोग का पहला प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला ज्ञापन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । गत सप्ताह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पाटिल के आश्वासन के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । सरकार को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले ऐसा किया जायेगा ताकि सभा इस पर चर्चा कर सके । मैं इस ओर प्रधान मंत्री, विधि मंत्री तथा अन्य मंत्रिगणों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान (पैंतालिसवां संशोधन) विधेयक तथा दल-बदल रोक विधेयक इस सत्र में रखे जायेंगे या नहीं । अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सत्र 12 तारीख से आगे बढ़ाया जायेगा और यदि बढ़ाया जायेगा तो कितने दिन के लिये ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) हमें शाह आयोग का प्रथम प्रतिवेदन 11 मार्च को और दूसरा प्रतिवेदन 26 अप्रैल को प्राप्त हुआ । यह एक गम्भीर मामला है । सभी कानूनी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

जल्दबाज़ी में काम खराब होता है और बाद में पछताना पड़ता है । मुझे आशा है कि सत्र के समाप्त होने से पूर्व हम इसे आपके समक्ष रख सकेंगे । अगले सत्र में इस पर चर्चा हो सकेगी । संविधान संशोधन) विधेयक भी इस सत्र की समाप्ति से पहले रख दिया जायेगा । वर्तमान सत्र 16 तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।

Dr. Laxminarayan Pandaya (Mandsaur) : With the implementation of Government's decision to decentralise the Fertilizer Corporation of India and N.F.L. into four Regional offices, the interests of the employees have been adversely affected. The employees were given an assurance that they would not be transferred. The matter should be discussed here before implementation.

पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978—83 के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978—83

Shri Chandrapal Singh (Amroha) : If corruption is not rooted out from the country, we will not be able to fulfil the aspirations and expectations of the people. Our beaurocrats have an urban orientation with the result that they do not pay any attention to the rural areas and remain indifferent towards the Plans. I would suggest that they live in the rural areas amidst *Adivasis*, *Harijans* and the poor so that they get better opportunity to acquaint themselves with problems faced by these people. This will go in a big way to help in implementation of our plans. Secondly, they should be assigned particular targets for implementation and achievements. Proper incentives and disincentives may also be laid down to ensure compliance.

We are today facing the population explosion, which if not checked in time will have very serious consequences. We will have to be strict in the matter. If the entire eligible population of a village agree *suo Moto* or on motivation by the authorities to accept sterilisation, they may be assured of roads, schools and other facilities. This will have its impact on other villages as well. There should be involvement of the elected representatives in the matter. There is an outcry for stability from all questors, which can be achieved with a state of law and order in the country. Our energies engaged in enforcing law and order can be better utilised in implementation of our plans. Dictatorship cannot deliver the goods in our country although dictatorial forces have again become active in the country recently. If our leaders do not stand united. The democracy in our country will crumble. We have made high promises to the people. Now it is to be seen how far we succeed in fulfilling them.

There is problem of housing for the small people. We should have combined colonies for the poor and the rich, the Harijans and the caste Hindus so as to accelerate the pace of national integration. So far the beaurocrats have been indifferent to all these problems. You should be strict with them and ensure their proper involvement. It is in the national interest to bring stability, enforce discipline and law and order.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह खुशियां मनाने का अवसर है कि ससद में आयोजन पर चर्चा का पुनर्आम्भ हुआ है । काफी समय से संसद् और आयोजन का गठबन्धन समाप्त हो गया था । जनता सरकार को इसका पुर्नमिलन कराने का श्रेय है । श्री नेहरू के शासन के लगभग पन्द्रह वर्षों के दौरान संसद् और आयोजन के बीच सम्बन्ध बहुत घनिष्ट रहे थे । पिछले शासन के 9-10 वर्ष के कार्यकाल में आयोजन मरणासन्न था और केवल आक्सीज़न पर ही जीवित था । 1966 से 69 तक सरकारी तौर पर आयोजन अवकाश घोषित किया था न इसके बाद चौथी योजना आई जो वास्तव में विकास योजना न होकर संकटकालीन प्रबन्ध योजना थी तथा पांचवीं योजना तो वास्तव में आरम्भ ही नहीं हुई । पहले विश्व में अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि निर्धन और अविकसित देशों की समस्याएं भारी उद्योगों और मशीन निर्माण उद्योगों के माध्यम से ही सुलझाई जा सकती हैं । अब हमें पता चला है कि इस प्रकार के आयोजन में कुछ कमियां थीं ।

श्रीमती गांधी की आयोजन और वैज्ञानिक विचारधारा में कोई आस्था नहीं थी । उनकी तो केवल 20-सूत्री कार्यक्रम में आस्था थी । विरोधी पक्ष के नेता की विचारधारा श्री नेहरू की इस बारे में विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है । जनता सरकार व्यापक परिवर्तन लाई है और इसलिए आप देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् फिर से सजीव हो उठी है । अब यह श्रीमती गांधी के समय की तरह रबड़ की मोहर नहीं है । अब यह सुझाव देती है । यही स्थिति योजना आयोग की है और समूची आयोजन प्रक्रिया का 1977 में पुनर्जन्म हुआ है । इस सबका श्रेय जनता पार्टी को है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि आयोजन में कमी के कारण जनतन्त्र का भी ह्रास हुआ है । अगर ऐसा नहीं होता तो हमें सत्तावाद के जो दिन पिछले दो-तीन वर्षों में देखने में मिले वे दिन कभी नहीं आते ।

अब जनता पार्टी को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि वह जनता की आकांक्षाओं के कारण ही सत्ता में आई है । अतः जनता की आकांक्षाओं को हमें पूरा करना होगा । मैं इस बात से सहमत हूं कि आयोजन की कतिपय प्रक्रियाओं का त्याग किया गया है उन्हें छोड़ दिया गया है । वास्तव में इससे आयोजन प्रक्रिया को ही नुक्सान पहुंचेगा । यदि हम चाहते हैं कि जनता योजनाबद्ध विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहे तो इसके बारे में हमारी जो नीति है उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए । समूचे देश में इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और इसके उद्देश्यों तथा इसके अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में जनमत आमंत्रित किया जाना चाहिए। नेहरू जी के काल में यह प्रथा जारी थी । कोई भी योजना तब तक राष्ट्रीय योजना नहीं कही जा सकती जब तक कि उसे भारतीय संसद् का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए । केवल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित योजना को राष्ट्रीय योजना नहीं कहा जा

सकता (व्यवधान) संसद् और आयोजन में तब तक तालमेल नहीं हो सकता जब तक कि हम अब तक अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय, यह योजना बहुत थोड़े समय में तैयार की गई है । इसका श्रेय हमारे आयोजकों को जाता है । उन्होंने काफी कड़ी मेहनत करके इसे तैयार किया है । पर यह आश्चर्य की बात है कि हम प्रारूप योजना पर तब चर्चा कर रहे हैं जबकि वह लागू हो चुकी है । ऐसी दशा में संसद् अपने को एक विभिन्न स्थिति में पाती है । एक और भी विचित्र बात या है कि इस योजना के कार्य में योजना से सम्बद्ध राजनीतिक नेताओं को भी पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया । ऐसा नहीं होना चाहिए । हमारे प्रधान मंत्री को जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष हैं आयोजन कार्यों के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए ।

इन सब बातों के होते हुए भी यह योजना क्रान्तिकारी महत्व की है । यह योजना जनता की योजना है । इसमें भूमिहीनों, बेघरों, बेरोज़गारों, सीमान्त तथा छोटे किसानों और गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है । इसके अलावा ग्रामीण लोगों की जो भारत की जनसंख्या का 80 प्रतिशत है समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है । इस योजना से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : छोटे किसानों के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसके अलावा इसमें कुछ इने-गिने लोगों को ही उद्योग स्थापित करने के अवसर देने की बजाय आम लोगों को इस क्षेत्र में आने के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है । यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है । इसमें लोगों को भी भागीदार बनाया गया है । इससे लोगों में उत्साह पैदा होगा जो लोकतान्त्रिक आयोजन का मुख्य स्रोत होता है ।

इस योजना की सबसे मुख्य बात यह है कि पहली बार राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण के लिए प्रभावी माध्यम चुना गया है । रोज़गार के अवसर पैदा करके राष्ट्रीय आय का प्रभावी वितरण किया जा सकता है । इसीलिए इस योजना में रोज़गार को ही इसका प्रमुख माध्यम चुना गया है ।

जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में पिछली सरकार के शासन के दौरान कुछ ह्रास हुआ है । सरकारी क्षेत्र समाजवादी समाज की स्थापना का एक प्रमुख माध्यम माना गया है । मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि इस योजना में सरकारी क्षेत्र को तरजीह नहीं दी गई है । पर यह गलत है । 1960-61 के मूल्यों को आधार मानकर इस क्षेत्र के परिव्यय में 66 से 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि तीसरी चौथी और पांचवीं योजनाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 27.5, 37.90

और 34.14 रहा है। अतः स्पष्ट है कि जनता सरकार ने इस क्षेत्र को काफी महत्व दिया है।

जनता पार्टी द्वारा निर्धारित 7 प्रतिशत की वृद्धि की दर के मुकाबले प्रारूप योजना में वृद्धि पर केवल 4.7 प्रतिशत रखी गई है। यह दर उचित नहीं है। हम जो 23 प्रतिशत की बचत करेंगे उसे किसी काम पर लगाया जाना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय आय की दर में और अधिक वृद्धि हो। पिछले आंकड़ों को ही उधार मानकर हमें योजनाएं तैयार नहीं करनी चाहिए। इससे देश की प्रगति को बाधा पहुंचेगी।

योजना के प्रारूप में कहा गया है कि अब देश सभी उपभोक्ता वस्तुओं तथा इस्पात और सीमेन्ट जैसी आधारभूत जिन्सों में आत्म-निर्भर हो गया है। पर जब तक आम लोग इन वस्तुओं को खरीदने में समर्थ नहीं होंगे तब तक हम अपने को आत्म-निर्भर नहीं कह सकते। यदि देश में पैदा 60 लाख टन इस्पात की खपत देश में ही नहीं होती तो हम देश को आत्म-निर्भर कैसे कह सकते हैं ?

पिछले तीन वर्षों से हम जितनी बचत करते आ रहे हैं उसके हिसाब से निवेश नहीं हुआ है। जनता जब बचत करती है तो वह यह आशा रखती है कि उनका पैसा देश के विकास कार्यों में लगे।

विदेशी मुद्रा जो इस समय हमारे पास जमा है उसका भी योजना आयोग ने समुचित मात्रा में उपयोग करने की योजना नहीं बनाई है। आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विदेशी मुद्रा हमारे पास जमा हो गई थी उसे पहली पंचवर्षीय योजना कार्यों में खर्च करके हमने व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया था। पर आज हम सारे विश्व को जोर-शोर से बता रहे हैं कि हमारे पास 5000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सुरक्षित है पर हम इस योजना में इसमें से केवल 1800 रुपये ही खर्च कर पायेंगे। मूल्य स्थिति भी इस समय अच्छी है। मूल्य नियंत्रण में हैं (**व्यवधान**) इन सब बातों को देखते हुए जनता पार्टी ने जो 7 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा था वह अव्यवहारिक नहीं है क्योंकि 1964-65 में 7.5 प्रतिशत और 1952 में 6.4 प्रतिशत की विकास दर हम हासिल कर चुके हैं।

योजना के प्रारूप की एक अन्य बात जो समझ में नहीं आती वह यह है कि हमारे नियोजक 4.7 प्रतिशत की वृद्धि से हम 4.93 करोड़ लोगों को रोज़गार कैसे दे सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि 5 करोड़ मानव वर्ष से भी उतनी उत्पादन की दर हासिल होगी जितनी कि 1.8 करोड़ मानव वर्ष से होगी। पिछली सभी योजनाओं में 3.5 प्रतिशत से कम वृद्धि दर रखी गई।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश द्वारा आयोजन को देश के आर्थिक विकास के अंग के रूप में स्वीकार किया जा चुका

है और हम सबको इसका गर्व है । तथ्य तो यह है कि जिस प्रकार विदेश नीति या गुट-निरपेक्ष नीति के बारे में हमारे यहां राष्ट्रीय मतैक्य है, उसी प्रकार आयोजन के बारे में भी हमारे यहां राष्ट्रीय मतैक्य है तथा यह हमारे लिये गर्व की बात है ।

यह कहा गया है कि आयोजन पद्धति को हमें फिर से स्वीकार करना पड़ेगा । मैं प्रधान मंत्री को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे पूर्व कभी भी इस देश के इतिहास में आयोजन कार्य ऐसे समय पर आरम्भ नहीं किया गया जबकि सामाजिक तनाव इतने अधिक रहे हों । देश में व्याप्त सामाजिक तनावों का नीति निर्धारकों और प्रशासकों पर काफी प्रभाव पड़ता है । जब तक इनका समाधान नहीं ढूंढ़ा जायेगा तब तक हमारी योजनाएं कागज का टुकड़ा मात्र बनकर रह जायेंगी ।

उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार के मुख्य मंत्री एक बड़े ही इमानदार व्यक्ति हैं । वह इस देश के बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं । किन्तु वह अपने राज्य की विकास समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एक प्रकार के सामाजिक तनाव बने हुए हैं । यही बात उत्तर प्रदेश के लिए भी कही जा सकती है । अतः जब तक आप इन साामाजिक तनावों का समाधान नहीं करेंगे, योजना का कार्यान्वियन नहीं हो सकता ।

आज कहीं आरक्षण की समस्या का मामला है, कहीं हरिजन पर अत्याचारों का मामला है तो कहीं श्रमिक अशान्ति । यह सभी मामले राष्ट्रीय मामलों का दर्जा ग्रहण कर लेते हैं । इसके लिये किसी को दोष देना उचित नहीं है । क्योंकि कुछ सामाजिक शक्तियां सक्रिय हैं जिनका पता लगाकर हमें कार्य करना है । यदि ऐसा न किया गया तो योजना व्यर्थ रह जायेगी ।

आज सम्पूर्ण देश में जिस महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही है वह है राज्य सरकारों के समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयां । इस संसद्, सरकार तथा योजना आयोग के लिए यह काफी बुद्धिमत्ता की बात होगी यदि वह इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे । मैं समझता हूं कि प्राकृतिक प्रकोप के लिए योजना अग्रिम धनराशि के रूप में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया गलत है तथा इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

यह योजना, जिसका उद्देश्य काफी अच्छा है, सम्भवतः इसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े । इस पर काफी अधिक मुद्रास्फीति सम्बन्धी प्रभाव पड़ने की आशंका है क्योंकि इस योजना के लिए जिन योजना संसाधनों को एकत्रित करने की आशा की जा रही है, वह पूर्णतया मिथ्या है । उदाहरणार्थ एक सुझाव यह भी दिया गया है कि राजकीय सहायता समाप्त कर दी जानी चाहिये । कैसे ? यदि खाद्यान्न तथा कागज के बारे में राजकीय सहायता समाप्त कर दी जाती है, तो यह बात तो कुछ हद तक ठीक लग सकती है । परन्तु अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । इससे मूल्यवृद्धि होगी ।

कृषि आयकर के बारे में भी एक वक्तव्य दिया गया है। मैं समझता हूं कि कृषि आयकर सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था हमारे देश के अनुरूप नहीं है। यदि सरकार यह समझती है कि ऐसे कर से वह संसाधनों को बढ़ाने में सफल हो जायेगी, तो यह उसका भ्रम है, ऐसा करने से सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने में सफल नहीं हो सकती।

जहां तक मद्यनिषेद्य का सम्बन्ध है, इसके बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है और इसके परिणामस्वरूप देश को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं। यदि सरकार इसको करने के बारे में दृढ़ संकल्प ही है तो फिर इससे होने वाली हानि को पूरा करने के बारे में योजना दस्तावेज़ में किसी व्यवस्था का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?

हमारे देश में कृषि तथा उद्योग के बीच भी विवाद चल रहा है। इस सम्पूर्ण विवाद का कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के विकास तथा कृषि उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में जो आधारभूत बातें हैं, उनके बारे में पारस्परिक सूझबूझ का अभाव है। इसलिए कृषि को उद्योग की अपेक्षा प्राथमिकता प्रदान करने सम्बन्धी उनके सारे सिद्धान्त निराधार हैं तथा उससे पता चलता है कि विकासशील देश की विकासशील प्रक्रिया में सूझबूझ का अभाव है।

योजना में यह भी कहा गया है कि अब उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। यह कहना गलत है। आज के युग में उत्पादन वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तकनीकी जानकारी न हो। हमें यह समझ लेना चाहिये कि यदि इस देश में शिक्षा को छोड़ दिया जाता है, या शिक्षा का महत्व कम किया जाता है तथा ऐसा केवल इसीलिए किया जाता है कि हम अन्य अस्थाई समस्याओं का हल खोज पाने में असमर्थ हैं, तो ऐसा करके हम देश का भारी अहित कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : गत योजनाओं के दौरान इस देश के लोगों की दशा बिगड़ती रही है। गरीबी की रेखा से नीचे अधिक लोग आ गए हैं। कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण होता रहा है और देश में निरन्तर निर्धनता बढ़ती गई है।

भूतपूर्व सरकार के शासन के दौरान आयोजना प्रक्रिया असफल रही है और योजनाओं का कार्यान्वियन सही ढंग से ही हुआ है। हमें अतीत के अनुभव से सबक सीखना चाहिए। क्या हम बड़े-बड़े व्यापार गृहों, एकाधिकार गृहों तथा बड़े-बड़े जमींदारों और विदेशी सहायता के द्वारा इस देश से निर्धनता तथा बेरोज़गारी को दूर नहीं कर सकते ? क्या हम परम्परागत पूंजीवाद रास्ता अपनाकर या मिश्रित

अर्थव्यवस्था का अनुसरण करके लोगों में व्याप्त असमानता को कम कर सकते हैं ? क्या हम ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन किए बिना इस दस्तावेज़ में निर्धारित समान समाज का निर्माण कर सकते हैं ? क्या हम भूमि जोतों तथा उसके साधनों पर एकाधिकार को समाप्त किए बिना भूमि के पुनर्वितरण के मामले में न्याय दे सकते हैं ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करके इनका उत्तर ढूंढना होगी । मैं देखता हूं कि योजना की रूपरेखा पर विचार करते हुए या प्रारूप तैयार करते समय इन समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है । हमें अतीत में अपनाए गए तरीकों को समाप्त करके वर्तमान ढांचे में यह पता करना चाहिए कि हम देश के जनसाधारण को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं ? प्रत्येक योजना में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और देश में किसी नीति के निर्माण के समय भी यही बातें ध्यान में रखी जानी चाहिएं ।

इस योजना प्रारूप में एक बात स्पष्ट रूप से देखी गई है कि इसमें राष्ट्रीय मतैक्य तथा लोगों को भागीदार बनाया जाना चाहिए । इन तमाम वर्षों में विशेषकर भूतपूर्व सरकार के प्रशासन के दौरान क्या होता था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बिठाना केवलमात्र औपचारिकता निभानी होती थी । किन्तु अब योजना के निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों तथा संसद् का सहभागी होना नितान्त आवश्यक है । किन्तु इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है ।

हम चाहते हैं कि योजनाओं के कार्यान्वयन में जनता तथा राज्य सरकारों को सहभागी बनाया जाये । हमारे अपने मूल दृष्टिकोण हैं । उन्हें उनका आदर करना चाहिए जैसा कि हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं । हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं । हम पता करना चाहते हैं कि क्या स्थिति और हम देश की प्रगति तथा विकास के लिए संयुक्त रूप से कैसे प्रयास कर सकते हैं । अतः मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह केन्द्र राज्य सम्बन्धों को टकराव का मामला न समझें । यह तो बातचीत तथा विचार-विमर्श की बात है ।

राज्य सरकारें पैसा इसलिए नहीं चाहती कि वे मंत्रियों तथा विधायकों का वेतन बढ़ायेंगी । वे तो धन की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें ।

जनता पार्टी राज्य सरकार से पंचायत तक विकेन्द्रीकरण करना चाहती है और केन्द्र से राज्यों तक नहीं । परन्तु हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण का काम केन्द्रीय सरकार से आरम्भ होकर पंचायतों तक पहुंचना चाहिए और ऐसा करने में राज्य सरकार की शक्तियों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ।

जब तक क्षेत्रीय विषमतायें और असमानतायें दूर नहीं की जातीं तब तक इस देश में सही ढंग का संघीय ढांचा नहीं बनाया जा सकता और इसके बिना हम

समुचित योजना का न तो निर्माण कर सकते हैं और न इसे कार्यान्वित कर सकते हैं। हमारा संघीय ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी देशवासी संयुक्त रूप से मिलजुलकर काम करें।

आयोजना का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू संसाधन जुटाना है। प्रारूप से यह पता चलता है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का सम्बन्ध है, हम सरकारी क्षेत्र को मज़बूत बनाना चाहते हैं। इस योजना प्रारूप में कहा गया है कि प्रस्तावित योजना परिव्यय को पूरा करने के लिए 16,000 करोड़ रुपये के अन्तर को पाटने के लिए 13,000 करोड़ रुपये के संसाधन केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अतिरिक्त करों द्वारा जुटाये जा सकेंगे। इस प्रकार 9,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन केन्द्र द्वारा और 4,000 करोड़ रुपये के अतरिक्त संसाधन राज्यों द्वारा जुटाये जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिक कर लगाये जायेंगे। इस प्रकार जनसाधारण को कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी।

आगे संसाधन जुटाने के लिए रेल किराये और मालभाड़े में वृद्धि करने की भी व्यवस्था है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे गरीबों को क्या लाभ होगा।

हम कृषि पर आयकर लगाना चाहते हैं। इस वर्ग को भी आयकर देना चाहिए। परन्तु सरकार और योजना आयोग के इस बारे में क्या विचार हैं ?

दूसरा मामला बेरोज़गारी का है। कुछ संख्या तक पदों का उल्लेख किया गया है। परन्तु यह लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकेगा ? कृषि क्षेत्र में 230 लाख पदों की व्यवस्था की गयी है। परन्तु बिना भूमि सुधार किए और भूमि एकाधिकार को समाप्त किए बिना इसका लाभ केवल एक विशेष समुदाय को ही मिलेगा।

आज लघु पैमाने का क्षेत्र संकट में है। सरकार की नीति मशीनीकरण को बन्द करने की नहीं है। अतः हम जानना चाहते हैं कि रोज़गार का यह लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकेगा ?

आय और मज़दूरी नीति के बारे में मैं केवल दो बातें कहूंगा। इस देश की मज़दूरी और आय क्या है ? मज़दूरी का पैमाना क्या है ? क्या उनको न्यूनतम मज़दूरी दी जाएगी ? इस बड़े प्रतिवेदन में मज़दूर वर्ग के लिए केवल दो पृष्ठ ही रखे गये हैं ? उनकी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

"रोलिंग प्लान" (अनवरत योजना) के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या एक वर्ष के बाद कोई योजना नहीं रहेगी ? क्योंकि एक वर्ष के बाद इसके प्रभावों, सफलता और प्रगति पर विचार किया जाएगा। आखिर "रोलिंग प्लान" (अनवरत योजना) का उद्देश्य क्या है ? मैं यही जानना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मजदूर वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखा जाये । उन्हें आयोजना की समूची प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए । अन्यथा कोई योजना सफल नहीं होगी ।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Chatra) : Mr. Speaker, Sir, I would like to point out that unless there is involvement and cooperation of the people of the country in a Plan, it cannot be implemented effectively and properly and it will also not be correct to call it a National Plan.

There is no doubt that the previous Plans have benefited the country. But it should be seen as to who have actually benefited by them. Even after the completion of Five Year Plans, the number of persons living below the line of poverty is increasing. This is a clear indication of the fact that there have been some defects in our planning, because of which wealth went on accumulating in few hands only. The Sixth Plan should be judged from this experience.

It is good that attention has been paid to unemployment problem and rural development in this Plan. But mere allocation of money will not do. It is unfortunate that in our country appraisal of a plan or project is done keeping in view the allocation of money made for it. It is not correct to make appraisal of a plan or project on the basis of expenditure incurred on it. What should be seen is as to how much amount, out of the allocated sum, has been spent correctly and how much of it has gone waste or been misutilised.

It is observed that during the previous plans, the persons who have been entrusted with the responsibility of implementing the schemes and projects, have been growing richer. These are the people who are in the Government implementation machinery or the moneyed people in the country whose development has taken place during all these years and not that of the poor people. If this thing continues, even this Sixth Plan will fail in bringing the desired results. I shall request the Prime Minister that he should assure the people and also ensure that the benefit of this Plan reaches the poor masses of the country. It does not matter if the allocations remain the same or they are reduced.

The planning should start from Panchayat level. It should then be considered at District level, then at state level and thereafter at the level of the Centre. It is unfortunate that ever being an elected representative of the people, I have never been given a chance to participate in the deliberations regarding formulation of plan. I do not know when it was framed and how it has reached here. Unless the planning is done at the root level and the general masses do not know as to what type of plan is being formulated for them and what will be their participation in it, the implementation of plan will not prove fruitful to the required extent. Planning by Government machinery only is a simple waste of money. If this thing continues, it is doubted that even this Sixth Plan might not have the same fate as has been of the previous plans.

It is not correct for the Government to take responsibility for every thing on itself. There should be a clear picture in the Plan that Government will be able to do this much with the resources available with them and the rest will have to be done by the people. The work should be clearly divided among all and responsibilities be fixed for it, so that everybody can understand his job and execute it well. Only then we will be able to implement the plan successfully and remove unemployment and poverty from the country.

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं मध्याह्न भोजन के पश्चात् भाषण आरम्भ करूंगा ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN HOURS OF THE CLOCK

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 6 मिनट अपराह्न पुनः समवेत हुई ।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT SIX MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

समय के नियतन के बारे में

POINT RE : ALLOTMENT OF TIME

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं 22 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं । पहले यह प्रक्रिया थी कि महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्य संख्या तथा विभिन्न दलों के सदस्यों को कुल मिलाकर एक निश्चित समय के आधार समय का नियतन किया जाता था । परन्तु वर्तमान अध्यक्ष और सचिव के पदासीन होने पर इस प्रथा को त्याग दिया गया है । मैं दस लाख व्यक्तियों का निर्वाचित निर्दलीय प्रतिनिधि हूं । क्या मुझे कोई समय मिलेगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहना गलत है कि इस प्रथा को त्याग दिया गया है । कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत किये गये समय में से विभिन्न दलों को तथा निर्दलीय सदस्यों को भी समय दिया जाता है । आपका नाम आर०एस०पी० ग्रुप में है । कल आप उपस्थित नहीं थे । सम्भवतः इसलिये आपका नाम नहीं पुकारा गया । लेकिन आपको फिर बुलाया जायेगा ।

पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978-83 के बारे में प्रस्ताव—जारी

Motion Re : Draft Five Year Plan—*Contd.*

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : आज सभा एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ पर चर्चा कर रही है जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह देश की समृद्धि और प्रगति की नींव को और सुदृढ़ करेगा । इसमें कोई सन्देह की कोई बात नहीं है कि देश के लिये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के स्वीकार करने के बाद भी हम देश के विकास के लिये उपयुक्त औद्योगिक, आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास का ढांचा तैयार कर पाये हैं । 27 वर्ष के पश्चात् आज समय आया है कि हम निरपक्ष होकर अपनी विगत सफलताओं और असफलताओं पर विचार करें । इस दस्तावेज़ में जहां इनको ध्यान में रखा गया है वहां आकी विकास पर भी जोर दिया गया है ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि यह दस्तावेज़ बिना उचित सोच-विचार के पेश किया गया है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार जनता को दिये गये वचनों को पूरा करने के लिये पूर्णतः उद्यत है । इसके लिये सही आयोजन की आवश्यकता है । इसलिए योजना आयोग को कुछ निदेश दिये गये थे । इन्हीं निदेशों तथा लोगों को दिये गये वचनों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे योजना शास्त्रियों ने बड़े परिश्रम से यह दस्तावेज तैयार किया है । राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी इस दस्तावेज़ पर गम्भीरता से विचार किया है । अब यह सदन के समक्ष है । दूसरे सदन में भी इस पर चर्चा होगी । जो भी रचनात्मक सुझाव दिये जायेंगे, सदस्यों द्वारा तथा समूचे देश द्वारा, उनपर विचार करके इस दस्तावेज पर पुनर्विचार किया जायेगा । हमने इसके बारे में प्रत्येक राज्य सरकार से भी विचार-विमर्श किया है । मैं सभा की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि 20 मार्च को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में प्रत्येक मुख्य मंत्री ने इस दस्तावेज में समाविष्ट नीति को स्वीकार किया था । यह ठीक है कि इसके वित्तीय पहलुओं और धन के न्यागमन के बारे में कुछ मतभेद अवश्य थे । परन्तु जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था ।

मुझे अपने कुछ माननीय मित्रों, जिनमें विरोधी पक्ष के नेता श्री स्टीफन भी हैं, की इस टिप्पणी को सूनकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि इस सम्पूर्ण दस्तावेज़ में आत्म-निर्भरता का न तो कोई उल्लेख किया गया है और न ही उस पर बल दिया गया है । मैं इस सम्बन्ध में दस्तावेज़ के पृष्ठ 3 पर पैरा 1.25 उद्धृत करना चाहूंगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

"It is proposed, therefore, that the principal objectives of planning should now be defined as achieving within a period of ten years :

(i) the removal of unemployment and significant under employment;

(ii) an appreciable rise in the standard of living of the poorest sections of the population;

(iii) provision by the state of some of the basic needs of the people in these income groups, like clean drinking water, adult literacy, elementary education, health care, rural roads, rural housing for the landless and minimum services for the urban slums.

This Plan aims at considerable progress towards achieving these goals.

These primary objectives should be attained while

(iv) achieving a higher rate of growth of the economy than in the past;

(v) moving towards a significant reduction in the present disparities or incomes and wealth; and

(vi) ensuring the country's continued progress towards self-reliance."

इस प्रकार समूचे दस्तावेज़ का मुख्य उद्देश्य ही यही है । क्या आत्म-निर्भरता वित्तीय पहलु, अत्पादन पहलु तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध नहीं है ?

जहां तक वित्तीय पहलु या विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि पांचवीं योजना के सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय 39,000 करोड़ रुपये में 5,400 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की व्यवस्था थी जो कि लगभग 13.76 प्रतिशत बनती है । जबकि इस योजना में सरकारी क्षेत्र के लिये निर्धारित किये गये परिव्यय 69,000 करोड़ रुपयों में केवल 3,600 करोड़ रुपयों की विदेशी सहायता की व्यवस्था है जो कि लगभग 5.7 प्रतिशत होती है । 1974-75 में यह सहायता 26 प्रतिशत और 1975-76 में 28 प्रतिशत तथा 1976-77 में 19 प्रतिशत थी जबकि छठी योजना में इसका अंश लगभग 11 प्रतिशत होगा ।

उत्पादन के पहलु के बारे में कहा गया है कि सरकार उस महान औद्योगिक ढांचे को विखण्डित कर रही है, जिसकी नींव पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी । मैं पूर्ण शक्ति के साथ यह कहना चाहता हूं कि हम इस महान् नेता का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और यह देश यह कैसे भूल सकता है कि इस महान् नेता ने देश में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी । आप देखेंगे कि हम शीघ्रातिशीघ्र आत्म-निर्भर बनने के लिये हर सम्भव उपाय कर रहे हैं । इस्पात और धातुओं को लीजिए । यह सच है कि फिलहाल हमारी इस्पात क्षमता बहुत अधिक है । श्री श्याम बाबू ने इसका उल्लेख किया । हम क्रय शक्ति कमज़ोर होने के कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं । हमारे यहां चीनी फालतू हैं । चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन लगभग 60 लाख टन होगा । जबकि हमारी जनसंख्या 61 करोड़ है । जब हम अन्य देशों के साथ, जहां प्रति व्यक्ति चीनी की खपत 40 से 50 किलो है, इसकी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि यह नगण्य है । इसका कारण है क्रय शक्ति का न होना । यही स्थिति अन्य वस्तुओं की है । हम इस्पात की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि फिलहाल उन अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

अब बिजली को लीजिये । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 31 मार्च, 1978 को बिजली का उत्पादन 24,039 मेगावाट था जबकि पहले यह केवल 8,439 मेगावाट था और छठी योजना के अन्त तक यह बढ़कर 44,000 मेगावाट हो जायेगा । इसके लिये हमने यह व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है जिस पर 15,750 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जायेगा । हम एक योजना में इतना सब करने जा रहे हैं जो गत पांच योजनाओं में नहीं पूरा हो सका है नाकि हम आत्म-निर्भर हों । औद्योगिक विकास और उद्योगों को सभी आवश्यक चीजें प्राप्त हो सकें । इसी प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, जो 31 मार्च, 1978 को 25-26 मिलियन टन था, 1982-83 तक 36.32 मिलियन टन हो जायेगा । जहां तक परिवहन और संचार का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना में इस प्रयोजन के लिये 6,900 करोड़ रुपये का विनियोजन था जबकि हम छठी योजना में 10,600 करोड़ रुपये का विनियोजन करने जा रहे हैं । इसी प्रकार योजना दस्तावेज़ में 9 उर्वरक कारखानों की स्थापना की व्यवस्था है जिसके लिये 1,650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस समय हम काफी मात्रा में उर्वरकों का आयात कर रहे हैं । इस देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सीमेन्ट का प्रश्न उठाया । इस योजना दस्तावेज़ में चालू योजनाओं को जारी रखने तथा 12 से 15 तक नये सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने के लिये 187 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । अब विज्ञान और प्रौद्योगिक को लीजिए । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और इसके बारे में अनुसंधान पर पांचवीं योजना में 814 करोड़ रुपये के विनियोजन की तुलना में छठी योजना में हमने 1,486 करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था की है । अतः इससे स्पष्ट होगा कि सरकार ने आत्म-निर्भरता को प्राथमिकता दी है । इन उपायों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार विद्यमान कमियों को दूर करने के साथ-साथ अब तक की प्रगति को सुदृढ़ कर रही है ।

सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी कड़ी आलोचना की गई । मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के लिये पांचवीं योजना में विनियोजन 39,000 करोड़ रुपये था, जबकि छठी योजना में 69,000 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा । सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक मुख्य साधन के रूप में कार्य करना चाहिये । हम अपने सरकारी उपक्रमों को सफेद हाथी बनाकर नहीं रख सकते हैं । हम उन्हें देश पर बोझ नहीं बनने देंगे । हमें उनके कार्यकरण को सुव्यवस्थित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि फिजूल खर्ची को एकदम रोका जाये लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि सरकार सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध है । सरकारी उपक्रमों पर व्यय में चौथी योजना में तीसरी योजना की तुलना में 38 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । पांचवीं योजना में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन

छठी योजना में इसमें 59 प्रतिशत वृद्धि होगी । क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार की तुलना में सरकारी उपक्रमों की ओर अधिक ध्यान दे रही है ?

यह कहा जा रहा है कि सरकार औद्योगिक विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है । सम्भवतः यह पहला अवसर है कि सरकार ने एक अत्यन्त यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर पहले की किसी अन्य योजना में औद्योगिक विकास की दर कभी भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रही । जबकि हम औद्योगिक विकास की दर 7 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक कृषि की विकास दर का सम्बन्ध है यह 4 प्रतिशत के लगभग होगी जो कि वर्तमान कृषि विकास दर से दोगुनी होगी ।

यह दलील रखी गई कि जब 4.9 करोड़ श्रम वर्ष का रोज़गार पैदा होगा, तो प्रगति दर भी बढ़नी चाहिये । आप यह भूल जाते हैं कि योजना में हमें सामाजिक सेवाओं जैसे पेय जल आदि की व्यवस्था करनी होगी । सड़क निर्माण, संचार आदि से रोज़गार के अवसर तो बढ़ेंगे पर विकास पर में वृद्धि नहीं होगी । यह सम्भव नहीं है । हमारी लगभग 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 80 प्रतिशत निर्धनता भी गांवों में है तथा 80 प्रतिशत बेरोज़गार लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं । 1911 से लेकर अब तक कृषि श्रमिकों का अनुपात 74 प्रतिशत ही बना रहा है । हमने इस योजना दस्तावेज़ में इस ओर ध्यान दिया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : क्या पांचवीं योजना में जिसके बनाने में आपका भी हाथ था, इस पर जोर नहीं दिया गया था ?

श्री मोहन धारिया : जब मैं योजना विभाग में था, तब हमने "टूवर्डस सैल्फ रिलाएन्स—एन अप्रोच टू फिफ्थ प्लान" नामक दस्तावेज़ तैयार किया था जिस पर इस सभा में भी चर्चा हुई थी और सभा ने उसे स्वीकार किया था । लेकिन इसके बाद उसे कहां फैंक दिया गया, मुझे पता नहीं । क्या 1971 में—जब मैं और श्री स्टीफन दोनों ही कांग्रेस में थे—हमने लोगों को वचन नहीं दिया था कि पांच वर्षों में हम गरीबी को हटा देंगे और प्रत्येक गांव में पेय जल की व्यवस्था कर देंगे ? उसका क्या हुआ ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? गत योजनाओं में पेय जल के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई । हमने इसके लिये व्यवस्था की है और हम सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये पेय जल की व्यवस्था हो । हम यह देखेंगे कि प्रतिवर्ष 30,000 गांवों में पेय जल की व्यवस्था हो । प्रधान मंत्री जी अपने भाषण में यह बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये बहुत उत्सुक हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : योजना में व्यवस्था और योजना की क्रियान्विति दो अलग चीजें हैं । मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या योजना में इस पर जोर दिया गया था या नहीं ।

श्री मोहन धारिया : यदि आप योजना नियतन को देखेंगे तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि इन पर बल नहीं दिया गया था और वर्तमान सरकार ने ऐसा किया है । हमने इस योजना में ग्रामीण विकास के लिये कुल योजना परिव्यय की 43 प्रतिशत राशि नियत की है । ग्रामीण विकास के लिये पहले कभी इतना अधिक प्रावधान नहीं किया गया । वास्तविकता यह है कि पहले ग्रामीण विकास की उपेक्षा की जाती रही ।

यह कहा गया है कि इस योजना में न्याय देने का ध्यान नहीं रखा गया है । यदि आप पृष्ठ 11 और पृष्ठ 311 से आगे के पृष्ठ देखें तो पता चलेगा कि वितरण न्याय हेतु भूमि सुधार, शहरी और निगमित सम्पत्ति एवं उनका वितरण, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण, लोक वितरण व्यवस्था आदि पर बल दिया गया है । देश में जनसाधारण की न्यूनतम आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दिया गया है । यह प्रथम अवसर है कि जब इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है । हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक असमानताएं दूर हों । केवल आवश्यकता इस बात की है कि योजना दस्तावेज़ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको सही ढंग से क्रियान्वित हो । इस योजना में ग्रामीण विकास के लिये 80,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । कम से कम 2,750 ब्लाकों में पूर्ण रोज़गार प्रदान करने के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में हम एक समेकित क्षेत्र प्रायोजन करना चाहेंगे । हम योजना आयोग को तथा राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर योजना तन्त्र और व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं । हम यह सुनिश्चित करने के लिये भी योजनाएं बना रहे हैं कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो और इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, जो यह सुझाव देगी कि समूची पंचायत राज प्रणाली का किस प्रकार सजीव बनाया जाये । योजनाओं की समुचित रूप में क्रियान्विति के लिये यह आवश्यक है कि लोगों को इसमें भागीदार बनाया जाये और यह पंचायतों के माध्यम से ही सम्भव है । इसके लिये पंचायतों का ठीक ढंग से काम करना आवश्यक है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श का उल्लेख किया । मैं स्वयं महसूस करता हूं कि परस्पर विचारों का आदान-प्रदान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच ही न होकर नीचे ग्राम स्तर पर हो । हमने लोगों के साथ तालमेल और सम्पर्क की ओर भी ध्यान दिया है । इसी उद्देश्य से अशोक मेहता समिति से शीघ्रातिशीघ्र प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। लघु उद्योगों क्षेत्र की तीव्र आलोचना की गई है । योजना के इस दस्तावेज़ में लघु और कुटीर उद्योगों का ध्यान

रखा गया है । पांचवीं योजना में 535 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में इस योजना में इनके लिये 1,410 करोड़ रुपए नियत किये गये हैं । इससे 1,30,00,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा । हमने हथकरघा क्षेत्र का भी ध्यान रखा है जो लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है ।

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है यह समस्या देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर से सम्बद्ध है । जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें धन के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा । हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करेंगे । पर उन में भी रोजगार पैदा करने की क्षमता होना जरूरी है ।

सबसे बड़ा प्रश्न योजना के कार्यान्वियन का है । आज तक हम इस मामले में नौकरशाही पर निर्भर रहे पर अब इसमें जनसहयोग लिया जायेगा । इसके लिये एकीकृत क्षेत्र आयोजन करना होगा । उपलब्ध जनशक्ति से सभी संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा । इस योजना में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिले । इस योजना दस्तावेज को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम समझ कर और इसके कार्यान्वियन को एक राष्ट्रीय चुनौती मानकर तथा समुचित राजनीतिक विचार धारा से परे हट कर यह काम सम्पादित किया जाना चाहिये । हमें आशा है कि इससे देश में सम्वृद्धि आयेगी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मूल प्रश्न कार्यान्वियन का है और इसके लिये संसाधनों की जरूरत होती है । पिछली योजनाओं से केवल अमीरों को ही लाभ हुआ है। इस योजना के जो चार मुख्य उद्देश्य रखे गये हैं मेरी समझ से उन्हें पूरा करना कठिन है । पर सबसे बड़ा दोष इस दस्तावेज में जो है वह यह है कि इसमें मध्यम और बड़े उद्योगों की उपेक्षा की गई है । हमें अपने तकनीक और उत्पादन में वृद्धि करनी होगी तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं ।

योजना को अमल में लाने के लिये जनसहयोग की बात कही गई है । समझ में नहीं आता कि जब सत्ताधारी दल आपस में लड़ झगड़ रहा है और राज्यों खासकर उत्तरी राज्यों में आपसी मनमुटाव है तो जनसहयोग कैसे प्राप्त हो सकता है। दक्षिण के राज्य विशेषरूप से केरल के पास योजना की पूर्ति के लिये संसाधन हैं । पर उसकी परियोजनाओं को स्वीकृति देने में भारत सरकार अड़चन डाल रही है। केरल की साइलाइट वेली परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है । यह एक बिजली योजना है और इसमें 522 मैगावाट बिजली तैयार करने की परिकल्पना है । पर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय अब इस आधार पर बाधा पहुंचा रहा है कि इस से केरल की वनस्पति और जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुंचेगा, केरल सरकार पर्यावरण योजना और समन्वय समिति को हर प्रकार से आश्वासन देने को तैयार है, पर मंत्रालय इस योजना को आरम्भ न होने देने पर तुले हुए हैं ।

नारियल जटा उद्योग के लिये अगले पांच वर्षों के लिये बहुत कम राशि रखी गई है । इस उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । पर्यटन उद्योग की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है । पर्यटन के लिये केवल 33 करोड़ रुपये तथा पर्यटन और विकास निगम के लिये 30 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है । इस विभाग को दो भागों में बांटने की जरूरत नहीं थी । पर्यटन के लिये दो अलग-अलग विभाग रखने की क्या जरूरत है । राज्य सरकार जिन पर्यटन केन्द्रों का विकास कर रही है पर्यटन विभाग उनकी ओर ध्यान नहीं देता ।

योजना में 116,240 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से 69,380 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र को आबंटित किया गया है और 46,860 करोड़ रुपये गैरसरकारी क्षेत्र को । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चार मुख्य शर्तें रखी गई हैं । स्पष्ट है कि राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार अतिरिक्त कराधान द्वारा क्रमशः 4000 करोड़ और 6000 करोड़ रुपये नहीं जुटा सकते । सरकारी क्षेत्र में 27,445 करोड़ रुपये की बचत भी असंभव सी लगती है । पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 4180 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना एक सराहनीय कदम है । लेकिन भूमि सुधारों के लिये विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया है। अतः इस योजना का प्रारम्भ आदर्शवादी है और अव्यवहारिक तथा अयथार्थवादी है।

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani) : The draft Plan has no definite direction and approach. The Planning Commission has failed to analyse the problems that the country has been facing. It has also failed to give a proper direction to our plans. As a result there has been no progress and development of the country. The way in which financial allocations have been made to different states have resulted in rich states becoming richer and the poor states becoming still poorer.

It has been stated that the present plan is rural oriented, but one can find that as large an amount as Rs. 108 crores is going to be spent on the beautification of Delhi only whereas for a big states like Bihar only an amount of Rs. 384 crores has been allocated for the development of the entire state. Similarly, Rs. 12.12 crores are proposed to be spent on the beautification of Chandigarh city while for the development of Andaman and Nicobar Islands only Rs. 10.44 crores are proposed to be spent. This is a big contradiction.

It is said that this plan envisages to spend 34 per cent on rural development but one can assess how many villages has been with drinking water uptill now.

The target for growth rate in the Fifth Plan had been fixed at 4.37 per cent but the achievement was only 3.9 per cent. On the other hand the population has been growing at the rate of 2.4 per cent.

If limit on expenditure is imposed it can give a saving between Rs. 1500 to Rs. 2000 crores which can be spent on the development of villages.

The production of luxury goods should be curbed and the production of consumer goods increased.

The age of retirement for Government service should be reduced and nobody should be given a pension of more than Rs. 500. This would create larger employment opportunities for unemployed people in the country.

*श्रीमती पार्वती देवी (लद्दाख) : छठी पंचवर्षीय योजना प्रारूप के प्रथम अध्याय में लिखा है कि योजनाबद्ध रूप में विकास की दिशा में बढ़ने के गत सत्ताईस वर्ष की अवधि में हमने आवश्यकताओं और साधनों को ध्यान में रखकर योजना की सफलता और दोष का विश्लेषण कर राष्ट्र के भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

यह गर्व और प्रसन्नता की बात है कि पांच योजनाओं के बाद आज हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है । विश्व के महत्वपूर्ण राष्ट्रों में आज भारत की गणना की जाती है । कृषि और उद्योग, विज्ञान और शिक्षा, बेरोजगारी और जीवन स्तर ऊंचा उठाने, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दिशा में हमने सफलता प्राप्त की है ।

किन्तु योजनाओं के परिणामस्वरूप हमारे देश में असंतुलन दूर नहीं हुआ है। किन्हीं राज्यों में प्रगति संतोषजनक है जबकि कुछ क्षेत्रों में यह बिल्कुल नहीं है । लद्दाख जिला इसका ज्वलंत प्रमाण है । लद्दाख के लिये विकास की रकम बढ़ाने की आवश्यकता है । लद्दाख सीमा पर स्थित है । यहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है । वर्षा कम होती है और किसान पर्वत शिखाओं और हिम नदीओं से बर्फ पिघलने से जो पानी आता है उस पर निर्भर करते हैं । लेह, जस्कार और कारगील तहसीलों में बर्फ से पिघलने पर ही पानी मिलता है । सिनगो, साकती, आलची आदि अनेक गांवों में सदा पानी की कमी रहती है । इन गांवों में पानी की कमी से फसल सूख जाती है । सिंचाई के विकल्प साधन जुटाने की आवश्यकता है ।

खारदुंग दर्रा के सिंचाई के लिये पानी मिल सकता है । यहां पर किसी स्थान पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जा सकता है । आजकल सारा पानी निरर्थक बह जाता है ।

खारदुंग दर्रों में नूबरा घाटी पर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के पानी से लेह तहसील में सिंचाई हो सकती है । इसके लिये विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन होना चाहिये। लद्दाख के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बिजली का अभाव है । स्तकना बिजली परि-

*लदाखी भाषा में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Lok Sabha.

19LSS/78-4

योजना कई वर्ष पहले शुरू की गयी थी किन्तु अभी तक पूरी नहीं हुई है । यदि यह इसी धीमी गति से चली तो शायद यह दस वर्ष में भी पूरी नहीं होगी । इसका काम केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग को सौंप दिया जाये । इस विषय पर केन्द्र सरकार को तुरन्त गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है । जब तक यह काम नहीं होता है । लद्दाख की तीनों तहसीलों में बिजली पैदा करने के लिये जनरेटर लगाये जायें ।

शिक्षा की दृष्टि से लद्दाख बहुत पिछड़ा है । यहां पढ़े लिखे व्यक्ति 5 प्रतिशत भी नहीं हैं । यहां कालेज, टैक्नीकल इंस्टीट्यूट और वजीफे का प्रबन्ध किया जाये । लद्दाख में परिवहन के साधनों की कमी है । पर्यटकों के ठहरने के लिये उचित आवास व्यवस्था का अभाव है । वहां स्वच्छता का अभाव है और उपयुक्त सड़कें तथा भवन भी नहीं हैं । सड़कें, सिचाई साधन और लघु बिजली योजनायें प्रारंभ की जानी चाहिये ।

जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्पूर्ण भूभाग का 70 प्रतिशत लद्दाख में है। लद्दाख में पशु पालन, पश्मीना उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, पर्यटन विकास की अत्यधिक गुंजाइश है । यदि सिचाई के साधन बढ़ाये जायें तो अन्न और फलों की पैदावार बढ़ सकती है ।

योजना में पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । विकास में असंतुलन दूर होना चाहिये । सब क्षेत्रों का समान विकास किया जाये । पर्वतीय क्षेत्र और सीमा पर स्थित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाये ।

लद्दाख वासी एकाकीपन अनुभव करते हैं । वहां सुनसान है । उद्योग धंधे, समृद्धि, बिजली, शिक्षा में यह क्षेत्र उपेक्षित है । लद्दाख की स्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारी योजनायें तर्कसंगत नहीं हैं । योजना के निर्माताओं में प्रतिभा का अभाव है ।

योजना में बुद्ध की भांति समदृष्टि होना चाहिये । सब राज्य समान हैं, सब राज्य और क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण अंग हैं । सबका समान विकास आवश्यक है ।

मुझे विश्वास है कि छठी योजना काल में यह असंतुलन दूर करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे ।

Shri Shrikrishna Singh (Monghyr) : After taking stock of the early Five Year Plans, the Planning Commission has admitted that we have not been able to remove poverty, unemployment and economic disparity. The Commission has, therefore, decided to change their strategy. Certain changes have been made in priorities. These changes are welcome.

The pace of our economic growth has been very slow. We have developed only certain areas here and there. But vast regions of our country

are still untouched by fruits of development. There is construction of economic power in a few hands and despite five plans, 60 per cent of our population is living below poverty line.

We are certainly not against industrialisation, nor are we against public sector, but we are against copying western countries in regard to methodology of development. We have to follow the path shown by Mahatama Gandhi and start development of the country from grassroots.

It is gratifying to note that the draft plan has made higher allocations for rural areas. More attention has been paid to small and marginal farmers and their needs for agricultural inputs.

It is essential to secure peoples involvement in the implementation of the plan. In order to implement our plan schemes in rural areas we will have to build up social organisations. These organisations shall be in a position to implement plan schemes at less cost.

श्री जगन्नाथ राव (ब्रह्मपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही अजीब ही बात है कि इतनी राशि खर्च के लिये रखने पर भी आयोजकों ने प्रगति की दर केवल 4.75 प्रतिशत रखी है । यदि प्रगति की यह दर भी प्राप्त कर ली गई तो वह भी अच्छा हो होगा क्योंकि पहली योजनाओं में रखे गये बड़े लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं हो सके । मुख्य मुद्दा यह है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाये। असली रहस्य यह है कि इसे लागू करने का । यह सब से अधिक महत्वपूर्ण है तथा उसके बिना योजना सफल नहीं हो सकती । इसके लिये हमें लोगों का सहयोग लेना होगा । देश में पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े राज्य भी हैं । यदि सरकार के साथ भी प्रगति प्राप्त राज्यों के समान व्यवहार करती है तो यह न्यायोचित नहीं होगा । उदाहरणतः पिछड़े राज्य उड़ीसा में अनेक पिछड़े क्षेत्र हैं । सरकार ने राज्यों के समान तुलनात्मक राशि दी है । परन्तु राज्य सरकार के पास अपने संसाधन नहीं हैं । संविधान के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की विशेष जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है ।

अतः केन्द्र उसके लिये केन्द्रीय योजनायें बनाये और उन्हें पूरी तरह से केन्द्र से धन दे ।

हमारे कृषि क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है । हरित क्रांति हुई है लेकिन यह हरित क्रांति मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के धनी किसानों और समृद्ध क्षेत्रों तक ही सीमित रही । दक्षिण के पारम्परिक चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों को इससे लाभ नहीं हुआ है । पूर्वी जोन ने कोई प्रगति नहीं की है। काफी अनुसंधान हो चुका है और धान की नई किस्मों का विकास किया गया है । कृषि अनुसंधान संस्थान को यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये कि विज्ञान और

प्रौद्योगिकी द्वारा भी की गई खोजों का किसानों द्वारा पूरा उपयोग किया जाये ताकि उत्पादन और उत्पादिता दोनों में ही वृद्धि हो।

1975 में छोटे और सीमान्त किसानों के लिये एक सिंचाई योजना बनाई गई थी और अब यह हमारी कृषि विकास नीति का स्थायी अंग बन गई है। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था नहीं है वहां पर इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र का समेकित विकास किया जाना चाहिये। सारे खण्ड को एक एकक माना जाना चाहिये। दो तीन वर्षों में एक खण्ड के विकास के बाद दूसरे खण्ड पर कार्य शुरू किया जाना चाहिये इसी प्रकार हम खण्डवार क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।

छोटी सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव का कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिये। वह अपने आप उस पर काम करायेगी।

"काम के बदले भोजन" एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। राज्यों को कार्यक्रम को बढ़ा देना चाहिये ताकि कुछ वास्तविक प्रगति हो सके। योजना में सड़कों को कम प्राथमिकता दी गई है जहां तक संपर्क सड़कों का संबंध है केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें प्राथमिकता दे।

***श्री एस० रामास्वामी** (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। यद्यपि हम पांच पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वियन कर चुके हैं फिर भी यह उद्देश्य न केवल उतना ही दुर्गाही बना हुआ है अपितु यह उद्देश्य पिछड़ कर रह गया है। देश को 29 करोड़ जनसंख्या को दो वक्त को भोजन भी नसीब नहीं है। अशिक्षित लोगों की संख्या घटने के बजाय बढ़ कर 20 करोड़ हो गई है। बेरोजगारों और अंशतः रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या भी 30 करोड़ के लगभग है। इससे स्पष्ट है कि योजना के लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाये हैं।

इस योजना के दस्तावेज से पता चलता है कि जनता के अधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य के लिये इतने बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित कर देना ही काफी नहीं है। आप जानते हैं कि बिजली के अभाव में प्रतिदिन 10 करोड़ के औद्योगिक

*तमिल में दिए गए भाषण अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

उत्पादन को हानि हो रही है । हम इस योजना में ग्रामीण अद्योगों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। क्या इन अद्योगों के लिये हम बिजली उपलब्ध कर पायेंगे ? कितनी ही कृषि योजनाओं का कार्यान्वियन किया गया है किन्तु फिर भी देश में भूमिहीनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कर राजस्व का बहुत बड़ा भाग उन लोगों से प्राप्त होता है जिनका प्रति व्यक्ति उपभोग 110 रुपये महीने से कम है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े जमींदारों और अद्योगपतियों पर 100 करोड़ रुपये की करों की राशि बकाया पड़ी है इस पर भी सरकार उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है । ऐसे वातावरण में क्या उन लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ।

हमने विदेशी ऋण जो देने हैं उनकी राशि बढ़ कर अब 10,000 करोड़ रुपये हो गई है । योजनायें ऐसी होनी चाहियें जिससे न केवल जनता का जीवन स्तर ऊपर उठे बल्कि ऐसी क्षमता पैदा हो कि भारत अपना यह ऋण उतार सके । कहा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा पहली योजनाओं से काफी भिन्न है । राज्य योजनाओं का योजना परिव्यय केन्द्रीय योजनाओं से काफी अधिक है । राज्यों को वास्तव में कितना आवंटन किया गया है, इसके बारे में मुझे सन्देह है । राज्यों में लोग जब प्रकृति के प्रकोप से ग्रस्त होते हैं और अपना जीवन बचाने का प्रयास करते हैं उस समय सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देती है लेकिन वह सहायता अग्रिम योजना सहायता के रूप में हो जाती है परिणामत: वास्तविक राज्य योजनायें और परियोजनायें समुचित धन आवंटन से वंचित रह जाती हैं ?

योजना प्राथमिकताओं के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिये । एक तकनीकी समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि हमारा 60 प्रतिशत नदी जल बेकार समुद्र में मिल जाता है । नदी जल के पूर्ण उपयोग के लिये छठी योजना में योजनायें बनाई जानी चाहियें । मेरे निर्वाचन क्षेत्र पैरियाकुलम में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी बेकार जाता है । इन नदियों के पानी के उपयोग के लिये भी छठी योजना के अन्तर्गत योजना बनाई जानी चाहिये ।

पहाड़ों की ढलानों में जहांकि पेड़ नहीं हैं फलों के पेड़ लगाने के लिये योजनायें बनाई जानी चाहियें तांकि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका का साधन प्राप्त हो सके । ऐसी भूमि भूमिहीन श्रमिकों को खेती के उद्देश्य हेतु लम्बी अवधि के पट्टे पर दी जानी चाहिये ।

वर्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले वर्षा के पानी से ऊपर तक भर जाते हैं और वहां गांवों में पानी आ जाता है । ऐसी नदी नालों पर बान्ध बनाने के लिये योजना होनी चाहिये ।

अभी तक हमने संचार की सुविधाओं जैसी पड़ौसी राज्यों को मिलाने वाली अच्छी सड़कें बनाने की योजना तैयार नहीं की है । राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिये ऐसी योजना अनिवार्य हो गई है । पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी सड़कें बनाई जानी चाहिये । तभी आदिवासी जनता देश की मुख्य धारा के साथ मिल सकती है । यदि सरकार वास्तव में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहती है तो इस योजना में ग्रामीण सड़कों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये ।

श्री एन्थ् सा: (**बोलनगी**) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वचन दिया था कि योजना नीचे के स्तर से तैयार की जायेगी और उसने अपने वचन का पालन किया है । यह एक ऐसी योजना है जो 116 हज़ार करोड़ रुपये परिव्यय की है, इस योजना को कार्यान्वयन करने हेतु प्रशासन में सुधार करना होगा । इस समय 7 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं । 29 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । हमें बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार दिलाना है और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाना है ।

हमें लघु सिंचाई, बिजली उत्पादन, सड़क निर्माण, जलपूर्ति आदि योजनाओं का कार्यान्वयन करके जनता को सुविधाएं प्रदान करनी हैं । इसके लिये हमें प्रशासन में सुधार लाना है ताकि सब प्रकार की योजनाएं ठीक प्रकार से चलाई जा सकें ।

(श्री एम० सत्य नारायण राव पीठासीन हुए)
(Shri M. Satyanarayan in the Chair)

हमें सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्तर नहीं करना चाहिये । हमें बेरोज़गारी और गरीबी की समस्या से छुटकारा पाने के लिये दोनों ही क्षेत्रों से सहयोग लेना चाहिये । सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि छटी योजना के दौरान मुद्रास्फोति नहीं होने दी जायेगी और पिछड़े वर्ग की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : The Draft Plan Document is different in many ways from earlier plans. For this, both the Prime Minister and Planning Commission deserved congratulations.

No doubt, the country has made progress during the previous plans but the point to be considered is whether the basic problems of the country have been solved or not.

During all these years, economic disparities have increased and poverty has become more widespread. Therefore, a new strategy has been adopted in this Draft Plan Document so that we are able to tackle the basic economic problems of the country.

According to this document, 49 million jobs will be created at the end of the Plan. This will be a very great and credible achievement. In this document, bigger allocations have been made for these sectors which will generate large scale employment. This is a labour-oriented Plan.

A great deal of emphasis has been laid on agriculture and rural development. Allocation for power irrigation and other items in this sector have been made double so that more employment is generated.

In this Plan, steps were being taken to remove disparities between the rich and the poor. Big schemes of rural electrification and rural and urban housing will be taken up. Slums in cities will be eliminated. Drinking water will be made available in all villages by the end of the Plan.

Some Members have called this Plan capital-intensive. The fact is that previous plans have created monopolists in our country. Now in order to check growth of monopoly stress has been laid on small scale industries in this Plan.

Some states have already developed small scale industries and made made great progress in the sphere. Big industries should be set up in these states.

There is no mention of Thieu Dam in this Plan. This Dam should be included for implementation in this Plan. So far as hydel energy is concerned, there are many sources thereof in Himachal Pradesh. We can produce hydel energy on a large scale.

श्री ए० के० राय (धनबाद): आयोजना हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी परन्तु उसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था। आजादी के बाद हमें राष्ट्रीय योजना नहीं मिली बल्कि यह तो नौकर-शाही की यह योजना थी। यह आश्चर्य की बात है कि जब योजना आयोग का गठन किया गया था तब राष्ट्रीय योजना समिति के एक भी सदस्य को उसमें नहीं लिया गया।

आज अनेक सदस्यों ने कहा है कि लोगों में उत्साह पैदा किया जाये। क्या उनसे बैंक, पंचायत या ग्राम स्तर पर परामर्श करके उन्हें उत्साही बनाया जा सकता है ? हमें सामाजिक शक्ति पैदा करनी होगी। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है ? योजना की सबसे मुख्य बात यही है। यह तभी हो सकता है जब हम वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करें। हमारी आयोजना तथा नीति यह होनी चाहिए कि हम सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन लायें।

सभी ने कहा है कि हमें भूमि सुधार करने चाहिएं। हमें गांवों की सामन्तवादी व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। परन्तु किसी ने स्पष्ट रूप से भूमि सुधार को परिभाषा नहीं बतायी है। भूमि सुधार का अर्थ केवल किसान के स्वामित्व पर अधिकतम सीमा लागू करना माना जाता है। 30 वर्ष पूर्व आयोजकों ने खेत जोतने वाले लोगों के स्वामित्व की बात की थी।

आर्थिक योजना समिति की रिपोर्ट में यह मांग की गयी थी कि राज्य और खेत जोतने वाले लोगों के बीच के सभी बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाये । क्या भूमि सुधार का अर्थ खेत जोतने वाले लोगों को भूमि देना है ?

कहा जाता है कि भू-सेना होनी चाहिए । मैंने समूचे योजना दस्तावेज़ को पढ़ा है । इसमें भू-सेना का उल्लेख नहीं है । फिर समग्र क्रान्ति की बात की जाती है । 'समग्र क्रान्ति' शब्द का भी कहीं उल्लेख नहीं है । समाजवाद के बारे में भी कोई शब्द नहीं कहा गया है । यह किस प्रकार की आयोजना है ।

सरकार ने क्या नीति अपनायी है ? आयात और लाइसेंसों को उदार बनाने की नीति अपनायी गयी है । प्रो० महालानोबिस ने एकाधिकार समाप्त करने की बात की थी परन्तु सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है । अतः इन दोनों में बड़ा अन्तर है । भूतपूर्व कांग्रेस सरकार शहरों के धनी लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती थी । अब यह सरकार गांवों के धनी लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है ।

उद्योग और कृषि में समता होनी चाहिए । जैसाकि उद्योग में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र है उसी प्रकार कृषि के मामले में भी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र होना चाहिये ।

भूमि सुधार का अर्थ है कि योजना के अनुसार एक व्यक्ति को एक काम मिलना चाहिये ।

Shri Y.P. Shastri (Rewa) : It appears from the Draft Plan that the problems of the country have been properly assessed and an attempt has been made to find a correct solution for the same. But we have to see how far it can be implemented. The ways the plan had been implemented in the last five years and the results achieved were very startling. There is no doubt that there has been some increase in agricultural and industrial production. But it is not brought about any change for the better in the country.

After 5 Five Year Plans the number of people living below the poverty line has increased to 38,70,000. The other result of these Plans have been that while in 1950-51 people in rural areas used to be idle for 10 days in a year, in 1960-61 the number of their idle days went up to 120 and in 1973-74 it became 140. If the Plans go on in the same manner then very soon a day will come when they will be idle for all the 365 days.

In the matter of land distribution there is so much disparity in our country that more than 50 per cent land is owned by 10 per cent well-to-do people and those who are the poorest own only 0.1 per cent land. An attempt will have to be made to reduce this inequality in this Plan. No doubt it is a stupendous task but it has to be undertaken.

The main objectives of the Draft Plan are to remove unemployment, to provide greater means of livelihood to those living below the poverty line and to achieve self sufficiency. All the three objectives are laudable indeed. If these objectives can be achieved through this Plan than the people of this country will always remember the Janata Party Government.

It has been said repeatedly that the people of the lower strata will be brought up. We are doubtful whether this objective will be achieved. We may open any number of big industries but that is not going to increase the purchasing power of the people. This can be achieved only by setting up cottage and village industries. Although more money has been provided in the Draft Plan, there is no mention therein of suitable technology and training for the purpose. In our opinion intermediate technology will be most suitable.

The other need is to remove regional imbalance. There are many areas in the country which have always been neglected. Madhya Pradesh is a chronically backward area where the per capita income is very low. But we have been seeing that more money is being spent on the prosperous states like Punjab, Haryana and Maharashtra. If this continues, then the poor states will become poorer. Therefore, it should be corrected.

Some Development Blocks should be selected and employment should be provided to the persons of those Blocks so as to remove disparity. If villages are to be developed, a land army should be raised and employment should be provided to lakhs of persons to make the barren land as cultivable land.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : सभापति महोदय, हम छटी योजना के इस मसौदे पर ऐसे समय में विचार कर रहे हैं जब राष्ट्र बड़ी ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है तथा भारत में योजना का बड़ा संकट आया हुआ है । जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह अफवाह थी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया जायेगा । परन्तु एक विशेष चाल से प्रधान मंत्री ने इसे चालू रखा । लेकिन संकट बना ही रहा, क्योंकि अब वार्षिक योजना बनाने और परियोजना का मूल्यांकन करने का काम वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया है और 'अनवरत योजना' सामने आई है । इस सरकार के अधीन योजना प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है तथा योजना आयोग का अवमूल्यन कर दिया गया है ।

दो समितियों की नियुक्ति की गई । औद्योगिक लाइसेंस के लिए रामकृष्णया समिति और आयात नियंत्रण के लिए अलेक्जेण्डर समिति । दोनों समितियों के प्रतिवेदन स्वीकार कर लिये गए हैं और उनका चरणवार कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसका काम औद्योगिक लाइसेंस को प्रक्रिया को समाप्त करना और देश को आयात

नियंत्रणों से बचाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका योजना प्रक्रिया के साथ क्या सम्बन्ध है और क्या इनमें योजना का कोई हाथ है ?

हमने आयोजना के उपायों से काफी लाभ उठाए हैं, क्योंकि हमने इसे विशेष वातावरण में शुरू किया था । सबसे महत्वपूर्ण बात आयोजना प्रक्रिया सम्बन्धी नीति थी । आयोजना प्रक्रिया द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों में शताब्दियों पुरानी स्थिरता को समाप्त करने में सफल हुए हैं। हमने तकनीकी कौशल तथा जनशक्ति आदि के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है ।

यह कहना सही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि की उपेक्षा की जा रही है । मुख्य प्रश्न तो यह है कि हम प्रभावशाली क्रय क्षमता का विकास करने में असफल रहे हैं । इसलिए यदि उत्पादन होता है तो आप इसे बेच नहीं पायेंगे ।

वसूली मूल्यों के बारे में हमने पिछले वर्ष 450 करोड़ रुपये की राजसहायता दी है । हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस योजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । क्या यह एक सतत प्रक्रिया होगी । क्या बड़े-बड़े किसानों के अत्यधिक लाभ को कम करके इसे गांवों और शहरों के गरीब लोगों में बांटने पर विचार किया जाएगा ? इसी तरह उद्योग के मामले में प्रश्न यह है कि उद्योग में संकट किस तरह का है ? हमने उद्योग के ढांचे को बिगाड़ दिया है ।

छठी योजना ऐसे समय पर लागू की जा रही है जबकि पहले की योजनाओं के मुकाबले में विदेशी मुद्रा के भण्डार के कारण सफलता के अधिक अवसर है । हमारे पास विदेशी मुद्रा का भण्डार बहुत अधिक है ।

पूंजीगत माल क्षेत्र में काफी अनुपयुक्त क्षमता है । हम निर्यात बढ़ाने में भी समर्थ हैं । हमारे पास उच्च स्तर की तकनीकी जनशक्ति है । अब तो राजनीतिक दिशा प्रदान करने का ही प्रश्न है। मुझे आशा है कि जनता सरकार प्रधान मंत्री के नेतृत्व में अपनी आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करेगी ।

Shri R.L.P. Verma (Koderma) : Mr. Chairman, Sir, It is a matter of great pleasure that the Chairman of the Planning Commission and our Prime Minister has presented Draft of the Sixth Plan here. It appears from the Draft of this Plan that for the first time we are paying attention to villages. There are more than 5 lakh villages in the country and 80 per cent of our total population live there. 51 per cent of our total national income is received from villages. Even then the villages were neglected during the previous Plans by the previous Government. This is the first time that the Janata Government are now going to spend 43.8 per cent on the villages.

There are two main objectives of this Plan. One is to provide employment to all and to uplift the 72 per cent of people living below the poverty line. But it is not possible to achieve these objectives, if the set up remains the same which exists today. In this connection I will suggest that supervisory committees comprising of social workers and experts residing in villages may be formed to keep a constant watch over the implementation of and expenditure on various schemes and projects.

To provide irrigation facilities is of utmost importance for rural upli f It is good that it is proposed to provide irrigation facilities for 30 lakh hectar of land and 13.77% of the total plan outlay is to be spent over it. In this connection I would like to suggest that irrigation schemes for each Block of 4-5 villages may be formulated and entrusted to the unemployed Engineers to be executed with the help of bank loans. It will also solve to some extent the unemployment problem of Engineers.

For solving the unemployment problem I would also like to suggest that at least one small industry or medium industry may be set up each Block which may provide employment to 300–400 people. If the public sector industries go into loss, the annual increment in the pay of the employees thereof should be stopped. Moreover, lists of those living below the poverty line may be prepared and one person from each such family should be pro-provided amployment.

In our country there is about one crore hectares or waste land and unlevelled land. It should be levelled and made cultivable at war footing and after providing irrigational facilities there in it may be allotted to landless families for cultivation of pulses and oilseeds. Similar action may be taken in regard to unutilised land lying idle in forest areas. This can remove the shortage of pulses and edible oil in the country.

I would like to mention one point about roads in rural areas. Each village having a a population of more than 1500 people should be linked with metalled road. The recommendations made by Jayabar committee and Nagpur Plan may also be implemented.

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : The previous plans could not benefit the poor masses of the country and our main objectives could not be achieved. It is thus apparent that there are some inherent defects in the planning. If this Government want to solve the basic problems of the country in a correct manner, they will have to change the context and direction of the planning.

Each previous plan has resulted in creating more unemployment in our country. Therefore, it will have to be seem that such a technique of planning and industrial policy is adopted as may solve the unemployment problem. The nature of investment in our planning requires a fundamental change. The productivity should be linked up with consumption also. Stress on haeavy industries will have to be reduced.

The total labour force in the country is 230.5 million at present but it is expected that this force will increase to 265.3 million in 1978-79.

The fundamental point is that majority of our working force depends on agriculture. It is a historic fact that in 1921, 73 per cent of our population was dependent in agriculture and it remained unchanged in 1961. In 1971 this percentage rose to 73.9. In spite of heavy investments. Foreign loans, heavy taxation and setting up of big industries and factories, etc. The burden on agriculture has not been reduced. Action should be taken to divert and shift some per centage of working force to the non-agricultural sector.

In the draft Sixth Plan you have envisaged a growth rate of 4.7 per cent. But the Janta Party had assured a growth rate of 7 per cent. Shri Mohan Dharia advised us to adopt a realistic approach. Earlier it was fixed at 5 to 6 per cent, but the actual achievement was never more than 3.7 or 3.8 per cent. In this manner it appears to be doubtful if we would be able to achieve the targets of growth rate and job opportunities. With 3.5 per cent. increase in the national income you are hardly able to provide job to 1.5 to 1.75 crore of people. Perhaps this prompted Shri Shyam Nandan Mishra to term your job targets as illogical. Therefore, it is imperative that we pay more attention to the problem of educated unemployed, who are greatly frustrated. In this context we will have bring radical changes in our educational set up in order to link education with the developmental activities of the country. We hope that keeping in view the outline. indicated in this draft document, with the extension of primary and universal education, taking up of agricultural development programmes at the block level will strengthen our economy and give it a new dimension.

Shri Manoranjan Bhakta (Andaman and Nicobar Islands) : If it provides employment, bread and butter, houses and other basic amenities, then only it is called perpective planning. Will we be able to achieve the too ambitious targets and control the price line ? Will we be able to give need based minimum wages to the workers ? In my area, Andaman and Nicobar, which is administered by the centre, the minimum wage is Rs. 5.50 only whereas it is Rs. 8.10 in West Bengal and Rs. 8.00 in Kerala. It should be increased. If this plan is not implemented properly it is not going to deliver the goods. Unless the political leadership realises its responsibility we will not be able to benefit our countrymen. I would suggest that all the foreign companies and foreign capital be nationalised and the compensation may be paid in a manner which may improve economic condition.

My constituency, a Union Territory, continues to be in the strange hold of Bureaucracy, dictatorship and official dom. I regret to say that no special provision has been made for it in this draft Sixth Plan. It is an isolated and backward area without an Assembly and with only a lone member in Lok Sabha. It has its strategic importance as well. It was in occupation of Japanese for three years during the last world war. A voluminous report was prepared for making Andaman Nicobar a free port. The Planning Commission should examine it so that the lot of the people of the area may be improved. Efforts should also be made to explore the possibilities for development of tourism in these islands.

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए । यदि आप बोलते हैं, तो इसे शामिल नहीं किया जायेगा ।

(अन्तर्बाधा)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
*Not recorded.

Shri Bhanu Kumar Shastri (Udaipur) : It is surprising to note that billions of rupees have been spent on Five Year Plans but the benefit of planning during the last thirty years have not reached the poor and the common man and therefore, the entire planning was a failure inspite of all the arrangements for highlighting the increase in growth rate.

It is heartening to note that the Janta Government has now presented a draft plan which has rural orientation. I come from an area inhabited by ten lakh *adivasis* who are leading a miserable life. There are roads and there is drought after every three years. Many women die in child-birth in the absence of proper medical facilities. I have been to Andamans also where I have seen people going naked. Similar is the condition of tribals in my district of Udaipur, where people are extremely poor and even women have to remain half-clad. The district of Udaipur is rich in mineral resources but these need to be exploited with a view to bring about the development of the area and to create job opportunities for the local people.

Government propose to take up development work in 2700 blocks under the Plan. There are areas where people do not have drinking water and who have so far not seen a reailway train or an engine. Therefore, I would suggest that such blocks should be taken up first for development work. It will be the greatest achievement of the planning if you are able to improve the lot of the people living below the poverty line.

Shri H.L. Patwary (Mangaldai) : Sir, I have only a few suggestions to make. Firstly, I would suggest that our plans should be aimed for the benefit of the entire country unlike the plans during the past thirty years which were meant for the prosperity of the privileged few. Similarly our education should be reoriented to cover all the sections of the society. Thirdly our small villages should be reorganised into units of not less than a population of 10--15 thousand. This will help bridge the gap between the cities and the rural areas.

Then, the manner of expenditure on plans is not proper, unless there is decentralisation of power and money is spent at the village level in accordance with the manifesto of Janta Party, our plans will not be successful. Suppose a sum of Rs. 1 lakh is sanctioned for drinking water, a sum of Rs. 60,000 out of it is spent on salaries, Rs. 30,000 on travelling allowance having a sum of Rs. 200 to Rs. 500 for the actual work after meeting the consignment expenditure. What is the use of such a planning ?

Shri Rajendra Kumar Sharma (Rampur) : In our country 40 to 60 per cent people are living below poverty line, the number of unemployed has gone upto 6 crores and 60 per cent. people get only a meal a day. On the other side 20 lakh tons of foodgrains rests every year in the godowns of F.C.I., the Electricity Boards in the States show an annual deficit of Rs. 850 crores and a project estimated at Rs. 6 crores is not completed even after spending Rs. 80 crores. It is a very big challenge which our Prime Minister has accepted.

The Plans are meant for taking the nation forward and bring prosperity and progress in the country. But during the last four Plans unemployment has been increasing consistently. Every year 50 lakh people are added to the ranks of unemployed persons and this figure is going to increase to 60 lakh every year. The fault lies in the implementation of our plans. The draft plan document has a ray of hope for us. But we have to pay special attention to the implementation of the plan. It is in the interest of cottage and small scale industries and social welfare that village development centres are opened in the rural areas under 5.75 lakh *gram sabhas* and it will help us to solve the unemployment problem also.

I would suggest that our agricultural and rural development programme should cover the following :—

Agriculture and Rural Development:

(a) Intensive agricultural practices relevant to the area with special reference to multiple cropping and intensive farming;
(b) Horticulture;
(c) Preservation of fruits and vegetables;
(d) Mushroom cultivation;
(e) Pisciculture;
(f) Bee-keeping;
(g) Use of fertilizers and manures, including soil testing;
(h) Animal husbandry including artificial insemination;
(i) Preparation of dairy products processing of milk, etc.
(j) Use and repair of agricultural machinery;
(k) Plant protection, including use and maintenance of plant protection equipment;
(l) Agriculture credit operations;
(m) Production of certified seeds;
(n) Sericulture.

Cottage and small industries :

(a) Khadi (Cotton, Woollen and Silk);
(b) Handloom Textiles (cotton, woollen, silk or silk mixed yarns—40 counts power looms);
(c) Textile printing, dyeing, etc.;
(d) Edible oils and oil processing;
(e) Manufacture of cane or palm gur, *khandsari* and other palm products;
(f) Paper making;
(g) Pottery;
(h) Ceramics;

(i) Leather processing and manufacturing of leather goods;

(j) Utensils and other metallic household goods;

(k) Wood-work and furniture making;

(l) Non-edible oils and soap;

(m) Detergents and disinfectants;

(n) Blacksmithy, carpentry, operation and repair of Gobar Gas Plants;

(o) Manufacture of Shellac;

(p) Bamboo and cane work;

(q) Manufacture of lime,bricks, etc.;

(r) Collection of medicinal plants and preparation of medicines.

(s) Match-making;

(t) Bakery;

(u) Poultry;

(v) Nursery, etc.

Our present education policy is aggravating the problem of unemployment since the lakhs of students coming out ot the colleges do not get employ ment. Our present education policy should be replaced by a job-oriented education. We have in our country a network of railway lines 86,000 kms.-long and roads 12.64 lakh kilometer in length. Trees should be planted all along the railway lines and roads in the country. This will go a long way in helping us solve the problem of soil erosion.

During the congress rule our bureaucracy became corrupt. We will have to reorient the out look of our officers so that their involvement is ensured in achieving our objectives. We should also solicit cooperation of all the political parties, social organisations and educational institutions in the task of implementation of the Plan.

Shri Ramdas Singh (Girdih) : We should take steps to tackle the problem of power shortage if we want the plan targets to be fulfilled. We should supply coal to the power houses and thermal power stations after wasting it so that power generation is increased. Coal washeries may please be set up for the purpose. 40 per cent of our population is living below the poverty line. There is land in our country which can be made cultivable but is lying unutilised. We should take steps to bring such land under the plough on cooperative basis and engage the poor people on it. All necessary inputs should be made available to them by Government at the expense of the latter. Poultry farming and fisheries etc. should be started there. The Government should provide all the necessary facilities to these people and the cost thereof may be adjusted at the time of harvest.

It should be the responsibility to provide free education, food, clothing and medical facilities to the children of the poor in the age group of 5—12 years. It help in improving the lot of the poor. Bihar is a very backward state although it is rich in natural resources. These natural resources have

not been tapped and exploited with the result that the state has remained poor. In chhota Nagpur there are tribals and Harijans whose daily income is just 25 paise. This ore abounds in coal, iron and aluminium deposits. It small industries based on these raw materials are set up, the lot of the people of the area can be improved.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 मई, 1978/18 वैशाख 1900 (शक) के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven Hours of the clock on Monday, The Sixth May, 1978/Vaisakha 18, 1900 (Saka)

MGIPRRND—19 LSS/78—III—D—19-10-78—210